(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE PART-IV EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT
DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

103/L

F.No.10(9)/Fin(Rev-I)/12-13/dsVI/270 Dated the 01/4/ 2013

NOTIFICATION

F.No.10(9)/Fin(Rev-I)/12-13 .- In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 81 of the Delhi Excise Act 2009 (Delhi Act 10 of 2010), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules to further amend the Delhi Excise Rules, 2010 namely:-

1. **Short Title and Commencement.**- (1) These rules may be called the Delhi Excise (Amendment) Rules, 2013.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. **Amendment of rule 32** .- In rule 32 of the Delhi Excise Rules, 2010, for entries in the column 'Details of Licenses' against Sr.No.22, 23,24 and 25, the following shall be substituted, namely : -

Sr.No.	Detail of License
"22	Service of Indian Liquor in a hotel, motel or guest house to residents in their rooms
23	Service of Foreign Liquor in a hotel, motel or guest house to residents in their room to the holder of license in form L-15.
24	Service of Indian Liquor in a bar/ restaurant attached to a hotel or motel.
25	Service of Foreign Liquor in a bar/ restaurant attached to a hotel or motel to the holder of License in Form L-16."

3. **Amendment of rule 51** .- In rule 51 of the Delhi Excise Rules, 2010 in sub rule (10) for clause (e), the following shall be substituted, namely: -

S.No.	Rule 51 (10) (e)
"(e)	Certificate From Tourism Department, Government of India for grant of License in Form L-15 and L-16 in case of hotels and certificate from the Tourism Department Government of National Capital Territory of Delhi for grant of License in Form L-15 in case of Guest Houses and permission to construct motel from respective Municipal Corporation in case of grant of license in form of L-15/L-16 to Motels."

4. **Amendment of rule 154** .- (i)In the Delhi Excise Rules, 2010, in rule 154 in sub-rule (2), in the table 'License fee of other Rates of fees,' for entries in column no.4 against Sr.No.17, 18 and 19, the following shall be substituted, namely:-

S. No	Description of Licenses
"17	Service of Indian Liquor in a hotel, motel or guest house to residents in their rooms
18	Service of Foreign Liquor in a hotel, motel or guest house to residents in their room to the holders of license in form L-15.
19	Service of Indian Liquor in a bar/restaurant attached to a hotel or motel"

(ii) In Sr.No.19, in column no.5 below the entry 'Above 5 star', the following entries shall be inserted, namely: -

"

Category	Up to 75 covers (in Rs.)	Above 75 covers (in Rs.)
Motels*		
Deluxe	7,00,000	9,00,000
First Class	6,00,000	8,00,000

*The Motels already classified by, Govt. Of India, Ministry of Tourisim, shall pay the License fee on the basis of that classification until their reclassification.

Fee for service of liquor round the clock:

(i) 5 Star- ₹ 30,00,000/-
(ii) 5 Star Deluxe and above- ₹ 40,00,000/-
(iii) Motels (Deluxe) ₹ 20,00,000/-*

*As defined in the terms and conditions. "

(iii) In entry at Sr. No.20, in column no.4 after the word 'hotel', the words 'or motel' shall be inserted.

5. **Amendment of rule 154** .– In the Delhi Excise Rules, 2010, in sub-rule (4), in the table 'Other Fees (Permit/Pass/Import/Export)', for the entries column no.4 and 5 at S. Nos. 10 and 13, the following shall be substituted, namely:-

"

S.No.10	I. Service of Indian Liquor and Foreign Liquor at a place other than the licensed premises II. Service of Indian Liquor and Foreign Liquor at a motel/banquet hall/farm house not having any license to serve liquor "on" the premises.	5,000 15,000
S.No.13	I. Service of Indian Liquor and Foreign Liquor at a temporary place at hotel, motel, club and restaurant. II. Service of Indian Liquor and Foreign Liquor at a guest house/hotels/motels having only L-15 license.	5,000 10,000 "

By order and in the name of the
Lieutenant Governor of the National
Capital Territory of Delhi,.

(Ravinder Kumar)
Deputy Secretary –VI (Finance)

F.No.10(9)/Fin(Rev-I)/12-13/dsvi/270 Date: 01/4/13

Copy to: -

1. The Pr. Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi with one spare copy for its publication in Delhi Gazette Part-IV (extraordinary) in today's date.
2. The Secretary Ministry of Tourism, Government of India, Transport Bhawan, 1-Parliament Street, New Delhi-110001.
3. The Commissioner of Excise, Entertainment & Luxury Tax, L-Block, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
5. The Joint Secretary (L&J), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
6. Guard File.
7. Web site.

(Ravinder Kumar)
Deputy Secretary –VI (Finance)

100/4

दिल्ली राजपत्र भाग – 4 असाधारण में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व–1) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली–110002

सं0फा0: 10(9)/वित्त/(राज.–1)/12–13/[illegible] दिनांक: 01/4/13

अधिसूचना

सं0फा0:10(9)/वित्त/(राज.–1)/12–13 .– दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 (2010 का दिल्ली अधिनियम संख्या 10) की धारा 81 का उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 में आगे संशोधन के लिये निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभः–** (1) इन नियमों को दिल्ली आबकारी (संशोधन) नियमावली, 2013 कहा जायेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **नियम 32 का संशोधन :–** दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 के नियम 32 में "लाइसेंसों का विवरण" कॉलम में प्रविष्टि संख्या 22, 23, 24 तथा 25 के लिये निम्नलिख्ति को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

क्रम संख्या	लाइसेंस का विवरण
"22	होटल, मोटल या गेस्ट हाऊस में निवासियों को उनके कमरों में देशी शराब परोसना
23	फार्म एल–15 में लाइसेंस धारक होटल, मोटल या गेस्ट हाऊस में निवासियों को उनके कमरों में विदेशी शराब परोसना
24	किसी होटल या मोटल से संलग्न बार/रस्टोरेंट में देशी शराब परोसना
25	फार्म एल–16 में लाइसेंस धारक होटल या मोटल में संलग्न बार/रस्टोरेंट में विदेशी शराब परोसना

3. **नियम 51 का संशोधन :–** दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 के नियम 51 में उपनियम (10) के खंड (ङ) के लिये निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

क्रम संख्या	नियम 51(10)(ङ)
"(ङ)	होटल के मामले में फार्म एल–15 तथा एल–16 में लाइसेंस देने के लिये पर्यटन विभाग, भारत सरकार से प्रमाण–पत्र तथा गेस्ट हाऊस के मामले में फार्म एल–15 में लाइसेंस देने के लिये पर्यटन विभाग, दिल्ली सरकार से प्रमाण–पत्र तथा फार्म एल–15/एल–16 में मोटल को लाइसेंस प्रदान करने हेतु मोटल के निर्माण की अनुमति के लिये संबंधित नगर निगम से प्रमाण पत्र।"

4. **नियम 154 का संशोधन :–** (i) दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 के नियम 154 के उपनियम (2) की तालिका "अन्य फीस दरों की लाइसेंस फीस" में कॉलम संख्या 4 के क्रम संख्या 17, 18 तथा 19 में प्रविष्टियों के लिये निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

क्र० सं०	लाइसेंसों का विवरण
"17	होटल, मोटल या गेस्ट हाऊस में निवासियों को उनके कमरों में देशी शराब परोसना.
18	फार्म एल–15 में लाइसेंस धारक होटल, मोटल या गेस्ट हाऊस में निवासियों को उनके कमरों में विदेशी शराब परोसना
19	किसी होटल या मोटल से संलग्न बार/रस्टोरेंट में देशी शराब परोसना"

(ii) क्रम संख्या 19 के कॉलम संख्या 5 में प्रविष्टि "5 सितारा से ऊपर" प्रविष्टि के नीचे निम्नलिखित प्रविष्टि शामिल की जायेगी, अर्थात् :–

वर्ग	75 कवर तक (रुपये में)	75 कवर से ऊपर (रुपये में)
मोटल*		
डीलक्स	7,00,000	9,00,000
प्रथम श्रेणी	6,00,000	8,00,000

*पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्गीकृत मोटल अपने वर्गीकरण में संशोधन होने तक वर्ग के अनुसार लाइसेंस शुल्क का भुगतान करेंगे।

दिन–रात शराब परोसने का शुल्क:–

(i) 5 सितारा– 30,00,000/–रुपये

(ii) 5 सितारा डीलक्स तथा ऊपर–40,00,000/–रुपये

(iii) मोटल (डीलक्स)–20,00,000/–रुपये*

*जैसे शर्तों में परिभाषित है।"

(iii) कॉलम संख्या 4 के क्रम संख्या 20 पर प्रविष्टि में होटल शब्द के पश्चात् "या मोटल" शब्द जोड़े जायेंगे।

5. **नियम 154 में संशोधन :–** दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 के उपनियम (4) की तालिका "अन्य शुल्क (परमिट/पास/आयात/निर्यात)" कॉलम 4 तथा 5 की क्रम संख्या 10 तथा 13 की प्रविष्टियों के लिये निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

क्रम संख्या 10	1. लाइसेंसशुद्धा परिसर के अलावा अन्य स्थान पर देशी तथा विदेशी शराब परोसना।	5,000
	2. जिस मोटल/बैंक्टहाल/फार्महाउस जिसके पास परिसर में शराब परोसने का लाइसेंस नहीं है वहां देशी तथा विदेशी शराब परोसना।	15,000

98/C

क्रम संख्या 13	1. होटल, मोटल, क्लब, तथा रेस्टोरेंट में अस्थायी स्थान पर देशी तथा विदेशी शराब परोसना। 2. केवल एल–15 लाइसेंस रखने वाले होटल, मोटल, तथा गेस्ट हाऊस में अस्थायी स्थान पर देशी तथा विदेशी शराब परोसना।	5,000 10,000

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

(रविन्द्र कुमार)
उप–सचिव–VI (वित्त)

सं फा 10(9)/वित्त (राज0–1)/2012–13/15/पस VI/2770 दिनांक 01/4/13

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :–

1. प्रधान सचिव, (सामान्य प्रशासन विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली, को आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग–चार में प्रकाशनार्थ एक अतिरिक्त प्रति सहित ।
2. सचिव पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, परिवहन भवन, 1–पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली–01.
3. आयुक्त आबकारी, एल एंड एन– ब्लाक, विकास भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली
4. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली
5. संयुक्त सचिव, (विधि एवं न्याय) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली
6. गार्ड फाईल ।
7. वेबसाइट ।

(रविन्द्र कुमार)
उप–सचिव– VI (वित्त)